



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 553]
No. 553]नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 31, 2009/चैत्र 10, 1931
NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 31, 2009/CHAITRA 10, 1931

कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 मार्च, 2009

का.आ. 891(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमित दायित्व भागीदारी अधिनियम, 2008 (2009 का 6) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 31 मार्च, 2009 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम की निम्नलिखित धाराएं प्रवृत्त होंगी, अर्थात् :—

क्रम सं.	धाराएं
1.	धारा 1
2.	धारा 2, उसकी उप-धारा (1) के खंड (ग) और खंड (प) के सिवाए
3.	धारा 3 से धारा 30
4.	धारा 31, “अधिकरण” के संदर्भ में इसके लागू होने के विस्तार के सिवाए
5.	धारा 32 से धारा 50
6.	धारा 52 से धारा 54
7.	धारा 59 से धारा 62
8.	धारा 66 से धारा 71
9.	धारा 74 से धारा 80
10.	धारा 81, धारा 51, धारा 63 और धारा 64 को उसके लागू होने के विस्तार के संबंध में खंड (ख) और खंड (ग) के सिवाए
11.	पहली अनुसूची

[फा. सं. 1/1/2009-सी.एल. V]

जितेश खोसला, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF CORPORATE AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 31st March, 2009

S.O. 891(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Limited Liability Partnership Act, 2008, (6 of 2009), the Central Government hereby appoints the 31st day of March, 2009 as the date on which the following sections of the said Act shall come into force, namely :—

Sl. No.	Sections
1.	Section 1
2.	Section 2 except clauses (c) and (u) of its sub-section (1)
3.	Sections 3 to 30
4.	Section 31 except to the extent of its application in context of the ‘Tribunal’
5.	Sections 32 to 50
6.	Sections 52 to 54
7.	Sections 59 to 62
8.	Sections 66 to 71
9.	Sections 74 to 80
10.	Section 81 except clauses (b) to the extent of its application to Sections 51, 63 and 64 and clause (c)
11.	First Sechedule

[F. No. 1/1/2009-CL.V]

JITESH KHOSLA, Jt. Secy.